संख्या-458/2021/I/105255/2021/23-11099/4023/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2021**

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के सम्पार सं0-43ए कि0मी0 99/0-1 सकौती-टाण्डा-खतौली रेलवे स्टेशन के मध्य एवं खतौली शुगर मिल सड़क मार्ग पर 02 लेन रेल खतौली रेल उपरिगामी सेतु की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1495/पुन0आगणन-मुजफ्फर नगर(सम्पार संख्या-43ए)/सेतु-6/20-21, दिनांक 29-12-2020 एवं पत्र संख्या-286/पुन0 आगणन-मुजफ्फरनगर(सम्पार सं0-43ए)/सेतु-6/20-21, दिनांक 03-03-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के सम्पार सं0-43ए कि0मी0 99/0-1 सकौती-टाण्डा-खतौली रेलवे स्टेशन के मध्य एवं खतौली शुगर मिल सड़क मार्ग पर 02 लेन रेल खतौली रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-44/2020/137ई/ 23-11-2020-1/2(140)/2019, दिनांक 29-01-2020 द्वारा लागत रू0 3118.95 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार) (जिसमें मुख्य सेतु-रेलवे पोर्शन की लागत रू0 1350.00 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 1768.95 लाख सम्मिलित है।) की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 4128.94 लाख (रू0 इकतालिस करोड़ अट्ठाईस लाख चौरानबे हजार मात्र) (जिसमें रेलवे भाग (रेलवे पोर्शन) की लागत रू0 1350.00 लाख एवं भूमि अधिग्रहण, पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 2778.94 लाख सम्मिलित है।) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद मुजफ्फरनगर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के सम्पार सं0-43ए कि0मी0 99/0-1 सकौती-टाण्डा-खतौली रेलवे स्टेशन के मध्य एवं खतौली शुगर मिल सड़क मार्ग पर 02 लेन रेल खतौली रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3118.94	4128.94

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) पुनरीक्षित प्रायोजना में सेतु निर्माण के अन्तर्गत 1.015 हे0 भूमि अधिग्रहण हेतु 825.44 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। अत: भूमि अधिग्रहण आवश्यकतानुसार राजस्व अधिनियम/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(10) विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-44/2020/137ई/23-11-2020-1/2(140)/2019, दिनांक 29-01-2020 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-1384-दस-2021-2022, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- महाप्रबन्धक, संबंधित रेलवे।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in